

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 5

अंक सं. : 3

अक्टूबर 2012

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति की समीक्षा -----	1
मुख्य घटनाएं-----	2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां-----	2
बैंकिंग गत की घटनाएं-----	3
विनियामकों के कथन -----	4
सूक्ष्मवित्त -----	5
बीमा -----	5
अंतरराष्ट्रीय समाचार -----	5
विदेशी मुद्रा -----	5
उत्पाद एवं गठजोड़ -----	6
नयी नियुक्तियां-----	6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक-----	6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारियां-----	7
शब्दावली -----	7
संस्थान की गतिविधियां -----	7
संस्थान समाचार-----	7
बाजार की खबरें-----	8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मर्दे सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मर्दों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स समाचार मर्दों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मौद्रिक नीति की मध्य-तिमाही समीक्षा - 17 सितम्बर, 2012

नीतिगत उपाय

- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) घटा कर 4.5% किया गया।
- पुनर्खरीद (Repo) दर 8% पर अपरिवर्तित।
- प्रति-पुनर्खरीद (Reverse Repo) दर 7% पर अपरिवर्तित।
- सीमांत अस्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 9.0% पर कायम।

मुद्रास्फीति

- शीर्षक थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति (वर्षानुवर्ष) अब तक पूरे वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 7.5% पर निश्चल रही। अगस्त में व्यापक तौर पर बिजली की कीमतों में ऊर्ध्वमुखी संशोधन को निरूपित करते हुए ईंधन मूल्य से सम्बन्धित मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। वैश्विक स्तर पर नकदी की स्थिति के कारण कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में और वृद्धि हो सकती है।
- नये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की दृष्टि से मुद्रास्फीति (वर्षानुवर्ष) खाद्य मर्दों की बढ़ती कीमतों द्वारा अवरुद्ध हो कर व्यापक तौर पर अपरिवर्तित अर्थात् जून के मुकाबले जुलाई में 10% के आसपास रही। जुलाई में कुछ कमी (राहत) के बावजूद मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (खाद्य और ईंधन उप-समूह को छोड़ कर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) उच्च स्तर पर ही कायम रहा।

वृद्धि

- वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधि में पिछली तिमाही की तुलना में मामूली तौर पर तेजी आई, किन्तु पहली तिमाही में मूल्य-योजन की मंद गति अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों - विशेष रूप से उद्योग में सुस्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन में महज 0.1% की वृद्धि दर्ज हुई। अगस्त में बिजली की कमियों और घटते निर्यात आदेशों के कारण उत्पादन में रुकावटों के फलस्वरूप विनिर्माण पीएमआई वर्ष 2012 के दौरान घट कर अब तक के अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। मुख्य संकेतक दूसरी तिमाही में भी मंदी का संकेत देते हैं।

चलनिधि की स्थितियां

- मुद्रा आपूर्ति (एम3), बैंक ऋण एवं जमाराशियों में उनके सांकेतिक प्रक्षेप-पथों की तुलना में मंदी आई है, जो मंद आर्थिक गतिविधि का संकेत करते हैं। इसके विपरीत पहली तिमाही की समीक्षा के बाद से चलनिधि की स्थितियां सहज बनी रहीं। हालांकि, वर्ष की दूसरी छमाही में ऋण की मांग में मौसमी वृद्धि की पृष्ठभूमि में जमा वृद्धि और ऋण वृद्धि के बीच फन्नी चौड़ी हो सकती है। अग्रिम कर भुगतानों और त्योहारों से सम्बन्धित मुद्रा की मांग की शुरुआत के कारण बहिर्वाहों के साथ मिल कर यह स्थिति चलनिधि पर दबाव बढ़ा सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत आहरण व्यापक तौर पर निवल मांग और सावधि देयताओं (NDTL) के +/- 1 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर रहें, जिसके द्वारा मौद्रिक नीति के प्रेषण तथा अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुगम बना रहे, उपयुक्त चलनिधि प्रबन्धन महत्वपूर्ण हो जाता है।

मुख्य घटनाएं

नो फ्रिल्स डिमैट खातों की शुरुआत

इक्विटी निवेश में तेजी लाने के अभियान में बाजार के विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने छोटे शेयरधारकों के लिए नो फ्रिल्स अथवा प्राथमिक व्यापारिक खातों की शुरुआत की है। सभी निक्षेपागार सहभागियों (DPs) को पर्याप्त रूप से कमतर लागतों वाली प्राथमिक सेवा डिमैट खाता (BSDA) सुविधा प्रदान करनी होगी। खाते में धारित प्रतिभूतियों का मूल्य 50, 000 रुपये से कम होने पर प्राथमिक सेवा डिमैट खाता (BSDA) सुविधा में कोई वार्षिक रख-रखाव प्रभार नहीं लगेगा। मूल्य के 50, 000 रुपये से 2 लाख रुपये की बीच होने पर निवेशक को 100 रुपये के वार्षिक प्रभार का भुगतान करना होगा।

एक तिहाई एटीम दृष्टिहीनों के अनुकूल होंगे

दृष्टिहीन व्यक्तियों के समक्ष उपस्थित होने वाली कठिनाइयों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने हेतु कहा है कि संस्थापित किए जाने वाले एक तिहाई नये एटीएम ब्रेली कीपैड सहित बात करने वाली मशीनें हों। इसके अलावा, उसने बैंकों से अंधजनों, कमजोर दृष्टि वाले एवं अन्य विकलांगताओं से ग्रस्त लोगों को सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी कहा है।

इलेक्ट्रॉनिक अंतरण प्रभारों के बारे में वित्त मंत्रालय के निर्देश

नकदी रहित लेनदेनों को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 1 लाख रुपये तक की निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए शुल्क को घटा कर शून्य करने के लिए कहा है। वर्तमान में अधिकांश बैंक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली (NEFT) के माध्यम से 1 लाख रुपये तक के प्रत्येक निधि अंतरण के लिए अधिकतम 5 रुपये लेते हैं।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक वित्त के मानदंड संशोधित किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने लेनदारी लेखा क्रय सेवा (फैक्ट्रिंग) कम्पनियों को बैंक वित्त से सम्बन्धित मानदंड संशोधित कर दिया है। अब बैंक ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों, जो उनकी आय का कम से कम 75% लेनदारी लेखा क्रय सेवा (फैक्ट्रिंग) गतिविधि से प्राप्त करती हैं, को फैक्ट्रिंग के लिए निधियां प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा प्रदान की गई किसी बिल भुनाई सुविधा से सम्बन्धित आस्तियों / आय को इससे अलग रखा जाएगा। इन कम्पनियों द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता को प्राप्य राशियों के उनके पक्ष में दृष्टिबंधक अथवा समनुदेशन द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मूलभूत सुविधा कम्पनियों के लिए विदेशी उधार के मानदंड शिथिल किए

मूलभूत सुविधा क्षेत्र के निधीयन को बढ़ावा देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कम्पनियों की विदेशी बाजारों से अधिक निधियां जुटाने में सहायता करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) मानदंडों को शिथिल कर दिया है। अब मूलभूत सुविधा क्षेत्र में संलग्न कम्पनियां विदेशी बाजारों से स्वतः मार्ग के तहत पूरक वित्त जुटा सकती हैं। वे पूंजीगत माल का आयात करने हेतु पांच वर्ष की अधिकतम अवधि तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार भी ले सकती हैं। बाह्य वाणिज्यिक उधार की अनुमेय सीमा पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान किए गए औसत विदेशी मुद्रा अर्जन के 50% से बढ़ा कर 75% अथवा एक वर्ष में सर्वोच्च विदेशी मुद्रा अर्जन का 50% कर दी गई है। इस योजना के तहत किसी व्यक्ति

अथवा समूह कम्पनी द्वारा लिये जा सकने वाले अधिकतम बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा 3 बिलियन अमरीकी डालर नियत की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक बैंक पर्यवेक्षण के कार्यापलट हेतु तत्पर

भारतीय रिजर्व बैंक बैंक पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए वह बैंकों पर जिस रीति से निगरानी रखता है और उनका पर्यवेक्षण करता है उस विधि को रूपांतरित कर रहा है। यह मुहिम उन जोखिमों के अनुसरण में आरंभ की गई है, जो 2008 के वित्तीय संकट में पैदा हुए थे, जिसमें ऋणदाताओं ने पारंपरिक उत्पादों की अपेक्षा जटिल उत्पाद प्रदान करना आरंभ कर दिया था। अब भारत के वित्तीय क्षेत्र का मूल्यांकन एक गतिशील जोखिम-आधारित व्यवस्था के तहत किया जाएगा - जो एक ऐसा पहलू है जिसका वर्तमान पूंजी पर्याप्तता, आस्ति की गुणवत्ता, प्रबन्धन की गुणवत्ता, अर्जन, चलनिधि और बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशीलता (कैमेल्लस) रेटिंग प्रणाली में अभाव है। भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2013 में वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के अगले दौर से कैमेल्लस को इनरोड्स - (भारतीय जोखिम-उन्मुख एवं गतिशील रेटिंग प्रणाली) से प्रतिस्थापित करना चाहता है।

बैंक लोकपाल कार्यालयों को सशक्त बनाने के लिए दल (पैनल)

बैंकिंग लोकपाल को की जाने वाली शिकायतों में वृद्धि की पृष्ठभूमि में भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरे देश में मौजूद बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों को सशक्त बनाने के लिए परिवर्तन सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया है। बैंकिंग लोकपाल, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य महा प्रबन्धक श्री एम. सेबास्टियन ने बताया है कि विचार-विमर्श का एक मुख्य क्षेत्र होगा प्रतिकर (मुआवजे) की रकम, जो वर्तमान में 10 लाख रुपये तक सीमित है। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में केवल एक लोकपाल है। अतः हम प्रत्येक बैंक के स्वयं अपने लोकपाल की व्यवस्था किए जाने हेतु विनियम बनाने पर भी विचार करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर की अध्यक्षता में अपील प्राधिकारी होगा।

15 लाख रुपये तक के गृह ऋणों के लिए ब्याज में रियायत

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से 15 लाख रुपये तक के गृह ऋणों पर 1% की ब्याजगत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कहा है। ब्याजगत सरकारी अनुदान योजना को उसे जहां मकान की लागत 25 लाख रुपये से अधिक न हो, वहां 15 लाख रुपये तक के आवास ऋणों तक विस्तारित करते हुए 2011-12 से उदारीकृत कर दिया गया है। उक्त योजना अब सरकार द्वारा विस्तारित कर दी गई है और वह 31 मार्च, 2013 तक तक प्रचलन में रहेगी। सरकार द्वारा इस योजना के तहत वर्ष 2012-13 के लिए 400 करोड़ रूप का बजटीय प्रावधान किया गया है। किसी वैयक्तिक उधारकर्ता के लिए आर्थिक सहायता की सीमा 15 लाख रुपये के ऋण के लिए 14,012 रुपये और 10 लाख रुपये

के ऋण के लिए 9,925 रुपये होगी। विस्तारित योना से वर्तमान वित्तीय वर्ष लिये गए सभी आवास ऋणों को लाभ प्राप्त होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों के प्रचलन में अभी तक खास वृद्धि नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी. पद्मनाभन ने कहा है कि पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों (PDIs) की वृद्धि में सुस्ती अभी तक जारी है, यद्यपि उन्हें बैंकेतर कम्पनियां भी जारी कर सकती हैं। पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत ऐसे लिखतों में भण्डारित मूल्य के समक्ष माल एवं सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार के लिखतों में भण्डारित मूल्य धारक द्वारा नकदी के माध्यम से या फिर किसी बैंक खाते में नामे के माध्यम से अथवा क्रेडिट कार्ड द्वारा प्रदत्त मूल्य का निरूपण करता है। कार्ड से किए गए कुल लेनदेन के प्रतिशत के रूप में पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों के माध्यम से किए गए लेनदेनों का परिमाण (2.3%) तथा लेनदेनकृत मूल्य (2.5%) भी अत्यल्प है।

सरकार नकदी सीधे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देगी

बैंकों में पूंजी लगाने हेतु वित्तीय नियंत्रक कम्पनी (FHC) गठित करने की भारत सरकार की योजना ताक पर रख दी गई है। बताया जाता है कि इसके बजाय वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धनराशि सीधे ही लगाएगा। सरकार बैंकों को विशुद्ध इक्विटी प्रदान करेगी तथा किसी प्रकार का ऋण-सम्बद्ध लिखत जारी करने से दूर रहेगी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में पूंजी लगाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 15, 888 करोड़ रुपये की पूंजी का प्रावधान करने हेतु बजट की व्यवस्था कर रखी है।

सफेद लेबल वाले एटीएमों में नकदी के अलावा अन्य चीजों के लिए भी स्वाइप करें

बहुत जल्दी ही स्वचालित टेलर मशीनों (ATMs) से नकदी के अलावा अन्य चीजों की भी आशा की जा सकती है। जहां नये सफेद लेबल वाले एटीएमों की प्रणाली का भारत में प्रारंभ होना अभी तक शेष है, वहीं सफेद लेबल वाले एटीएम प्रचालक और बैंक पहले से ही ग्राहकों को निष्ठा पुरस्कारों से रिझाने की योजना बना रहे हैं, ताकि वे एटीएम से किए जाने वाले सभी लेनदेनों के लिए उनके स्थल पर आएँ। सफेद लेबल वाले एटीएम की प्रणाली में प्रचालक को स्वयं अपनी पहचान के साथ एटीएम लगाने की स्वतंत्रता होगी। अतएव, ऐसे बैंकों को, जो एटीएम नेटवर्क के माध्यम से बेहतर दृश्यता और पैठ बनाने हेतु एक-दूसरे से पहले से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, सफेद लेबल वाले एटीएम प्रचालकों से भी स्पर्धा करने की आवश्यकता होगी।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में कमी बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाने में सहायक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में 25 आधार अंकों की कमी किए जाने के परिणामस्वरूप भारतीय बैंकों को अपने निवल ब्याज मार्जिन में कम से कम 2 आधार अंकों की बढ़ोतरी परिलक्षित हो सकती है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में कमी से मार्जिन में और उसके परिणामस्वरूप उनकी लाभप्रदता में वृद्धि करने में सहायता प्राप्त होगी। आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में 25 आधार अंकों की कमी से बैंकिंग प्रणाली में 17, 000 करोड़ रुपये का निषेचन होगा। यह कमी उच्चतर निधि लागत वाले बैंकों, मुख्यतः पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। हालांकि अपेक्षाकृत छोटे बैंक भी इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि वे निधियों को सांविधिक चलनिधि अनुपात वाली प्रतिभूतियों के बजाय उधार देने में अभिनियोजित करते हैं।

बैंकों के लिए बासेल -III के प्रारंभ होने से पहले लाभप्रदता बढ़ाना जरूरी

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों के लिए बासेल-III के सम्बन्ध में अंतिम दिशानिर्देश जारी किया था। बैंकों के लिए इन मानदंडों को जनवरी, 2013 और 2018 के बीच पालन करना जरूरी होगा। वित्तीय सेवा विभाग के प्रवर सचिव श्री सुनील सोनी का कहना है, "तैयारी वाले चरण में यदि बैंक अपनी लाभप्रदता बढ़ा सकते हों, तो शायद सरकार से पूंजी की आवश्यकता उस सीमा तक कम हो सकती है। यदि बैंक अच्छा अर्जन करते हैं, तो वे निधियां बाजार से जुटा सकते हैं।"

दीर्घावधिक पूंजी निषेचन योजना की आवश्यकता है

आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन ने यह चेतावनी दी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निषेचन के लिए सरकार को एक दीर्घकालिक योजना तैयार कर लेनी चाहिए, अन्यथा उनके बाजार अंश में कमी आ जाएगी। "बासेल III दिशानिर्देशों का उद्देश्य वित्तीय आघातों और आर्थिक दबावों को अवशोषित करने के प्रति बैंकों के सामर्थ्य में विनियामक पूंजी आधार की गुणवत्ता और मात्रा, दोनों ही बढ़ा कर सुधार लाना है। जहां पूंजी जुटाने के लिए कतिपय नवोन्मेषकारी सुझाव दिए गए हैं, वहीं यह स्पष्ट है कि (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में) सरकार द्वारा पूंजी निषेचन विशाल होगा तथा उसे एक निरंतर प्रक्रिया का रूप देना होगा।"

लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रवाह सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा बैंकों का उपयोग

विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने लघु और मध्यम उद्यम (SME) क्षेत्र के लिए बैंकों के उधारदायी मानदंडों को युक्तिसंगत एवं उदार बनाने का निर्णय लिया है। वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए एकसमान ऋण आवेदन पत्र जारी करने हेतु कहा है। उनसे लघु और मध्यम उद्यम

क्षेत्र में आरंभ की जाने वाली नयी परियोजनाओं एवं नयी इकाइयों के लिए ऋण स्वीकृत करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी कहा गया है। सरकार ने बैंकों से लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में संभावित उधारकर्ताओं को उनके ऋण आवेदनों की स्थिति की जांच करने में समर्थ बनाने हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक ऋण अन्वेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए कहा है। अब बैंकों से किसी लघु और मध्यम उद्यम कम्पनी से ऋण आवेदन पर 30 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई किया जाना अपेक्षित होगा।

उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए बैंक ऋणों में गिरावट

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार व्यावसायिक सेवा खण्ड को बैंक ऋण 6,580 करोड़ रुपये (एक वर्ष पहले से 2, 980 करोड़ रुपये कम) की भारी गिरावट आई है, जो 27 जुलाई 2012 को 49, 300 करोड़ रुपये रह गए। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं वाले खण्ड में बैंक ऋणों में रिपोर्टिंग अवधि में 1, 870 करोड़ रुपये (एक वर्ष पहले से 350 करोड़ रुपये कम) की कमी आई तथा वे 6, 930 करोड़ रुपये रहे।

बैंक जमाराशियों ने ऋण वृद्धि को पीछे छोड़ा

इस वित्तीय वर्ष में बैंकों में जमा अभिवृद्धि के ऋण वृद्धि को पीछे छोड़ने का क्रम जारी है। इस प्रवृत्ति ने इस अवधि में कतिपय बैंकों को उधार दर एवं जमा दर में कमी करने हेतु प्रेरित किया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 29 जून और 7 सितम्बर, 2012 के बीच वाली अवधि में बैंक जमाराशियों में 91, 853 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसी अवधि में बकाया ऋणों में 11, 153 करोड़ रुपये की गिरावट आई। वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले पाँच महीनों में जमाराशियों में 2 लाख करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई, जबकि ऋण में 44, 904 करोड़ रुपये की ब़ोतरी हुई। ऋण वृद्धि में कम मांग के कारण तो नहीं आई, क्योंकि लोगों ने अपनी बातों को एक अनिश्चित बाज़ार में जोखिमपूर्ण निवेश में लगाने की बजाय बैंक जमाराशियों में लगाना पसंद किया। इसके परिणामस्वरूप जमाराशियों में उछाल आया, जबकि संवितरण पिछड़ गया।

30 सितम्बर तक एकसमान विशेषताओं वाले चेक जारी करें

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सितम्बर, 2012 के अंत तक चेक ट्रंकेशन प्रणाली (CTS) 2010 मानक के अनुरूप एकसमान विशेषताओं वाले चेक जारी करने के निदेश दिए हैं। सुरक्षात्मक विशेषताओं में एकरूपता धोखाधड़ियों के समक्ष निवारक के रूप में काम करती है और नियत क्षेत्र नियोजन (fixed field placement) विनिर्देशन प्रकाशीय अथवा छवि संप्रतीक पहचान प्रौद्योगिकी के माध्यम से आदेशित बैंकों में सीधे संसाधन को सुगम बनाते हैं। चेक ट्रंकेशन प्रणाली (CTS) 2010 मानक चेक आरूपों में समयबद्ध स्थानांतरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी बैंकों को अधिकतम 30

सितम्बर, 2012 तक केवल "बहु-शहरी अथवा सम मूल्य पर देय चेक ट्रंकेशन प्रणाली (CTS) 2010 मानक चेकों" की व्यवस्था करने की सलाह दी जा रही है।

विनियामकों के कथन

गतिशील प्रावधानीकरण का महत्व

वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने गतिशील अथवा प्रत्याशित ऋणगत हा नि के प्रावधानीकरण के महत्व पर एक बार पुनः बल दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री बी. महापात्र ने कहा है कि "ऋण के प्रवर्तन के समय चक्र में मौजूद हानियों की शीघ्र पहचान करके, अच्छे समय में ऐसे सुरक्षित भंडारों का निर्माण करके जिनका उपयोग बुरे समय में किया जा सके, जिसके द्वारा गिरावट के दौरान परिणामों को सीमित करके इस प्रकार का प्रावधानीकरण वित्तीय स्थिरता में योगदान कर सकता है। गतिशील प्रावधानीकरण एक ऐसा साधन है जो नीति-निर्माताओं और विनियामकों द्वारा ध्यान दिए जाने का पात्र है, क्योंकि यह ऋणगत हा नियों को बैंकिंग में प्रति-चक्रीयता के एक महत्वपूर्ण स्रोत पर विरामों को लागू करते हुए ऋण चक्र में समान रूप से वितरित कर देता है।"

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बासेल - III मानदंड पूरे करने हेतु 90, 000 करोड़ रुपये की दरकार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि बासेल -III मानदंडों द्वारा यथा-निर्धारित नयी वैश्विक विवेकसम्मत पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70, 000 करोड़ रुपये से 90, 000 करोड़ रुपये की पूंजी लगानी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि "यदि सरकार अपनी शेयरधारिता को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने का निर्णय करती है, तो पुनर्पूजीकरण का भार 90, 000 करोड़ रुपये का होगा। दूसरी ओर, यदि वह प्रत्येक बैंक में अपनी शेयरधारिता को घटा कर न्यूनतम 51% करती है, तो यह भार घट कर 70, 000 करोड़ रुपये से कम रह जाएगा।"

निवेश वातावरण सुधारने पर ध्यान दें

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान ने कहा है कि भारत की कहानी विश्वास को बनाए रखना और उसे बढ़ाना एक चुनौती बना हुआ है। हालांकि, इस चुनौती से जुड़वां घाटों - यथा चालू खाते के घाटे और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के माध्यम से निपटा जा सकता है, जिसकी परिणति घरेलू और विदेशी निवेशकों, दोनों ही के लिए बेहतर निवेश वातावरण में हो सकती है। राजकोषीय घाटा वह आर्थिक स्थिति होता है, जब सरकार का कुल व्यय वह जो राजस्व सृजित करती है उससे अधिक हो जाता है। चालू खाते का घाटा तब पैदा होता है जब किसी देश के माल

एवं सेवाओं कुल का आयात एवं अंतरण उसके निर्यात से अधिक हों। देश में भारतीय कम्पनियों (कारपोरेटों) की रुचि को बनाए रखने तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के अन्तर्वाह को आकर्षित करने के लिए भारत में निवेश के वातावरण में सुधार लाने को प्राथमिकता देनी होगी।

कर्ज पुनर्निर्धारण का सहारा विवेकपूर्ण विधि से लें

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा का कहना है कि धुंधली आर्थिक स्थितियों के कारण बैंकों के ऋण की गुणवत्ता में हाल के दिनों में गिरावट आई है। हालांकि, इस स्थिति से निपटने के लिए ऋणदाताओं के पास पर्याप्त पूंजी मौजूद है। कर्ज पुनर्निर्धारण में वृद्धि का उल्लेख करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मामलों के विश्लेषण से यह पता चला है कि बैंकों ने अत्यधिक रूप से विशेष सुविधाप्राप्त कम्पनियों का वित्तीयन किया है, जिनमें से कुछ ने भारतीय रिज़र्व बैंक की चेतावनी के बावजूद विदेशी मुद्रा बाज़ार में जोखिम की स्थिति (Open position) अपना रखी है तथा ऋणों का विपथन भी हुआ है। श्री सिन्हा कर्ज पुनर्निर्धारण को दबाव से निपटने का एक अत्यधिक विधिसम्मत तरीका मानते हैं, किन्तु उन्होंने बैंकों को सावधान रहने और इसे केवल आवश्यक होने पर ही करने की सलाह दी है।

दबाव का कोई संकेत नहीं, चलनिधि की स्थिति सहज

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि चलनिधि की वर्तमान स्थिति सहज है तथा मुद्रा बाज़ार पिछले कई सप्ताहों से स्थिर रहा है। यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक (ECB) द्वारा की गई सरकारी बॉण्डों को खरीदने की घोषणा ने भारत सहित पूरे विश्व के निवेशकों को सहूलियत प्रदान की है। बाज़ारों में चलनिधि सुनिश्चित करने के अलावा, संभाव्य रूप से असीमित मात्रा में सॉवरेन बॉण्ड खरीदने का यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक (ECB) का निर्णय इस आशय का आश्वासन प्रदान करेगा कि यूरोपीय बॉण्ड बाज़ार स्थिर बना रहेगा।

जमाकर्ताओं के बीच भेदभाव न करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से उच्च मूल्य वाले जमाकर्ताओं और छोटे जमाकर्ताओं के बीच भेदभाव न करने के लिए कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के. सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि "(ब्याज दरों में) यथोचित अंतर हो सकते हैं, किन्तु एक व्यापक दरार अस्वीकार्य है। जहां ब्याज दरें निर्धारित करने का दायित्व बैंकों के निदेशक मंडलों पर है; वहीं यदि वे सक्रियतापूर्वक नहीं कार्य करते, तो भारतीय रिज़र्व बैंक निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। बैंक अपनी सेवाओं के लिए जो प्रभार वसूल करते हैं, वे आवश्यक रूप से पारदर्शी होने चाहिए तथा सेवा प्रभार यथोचित होने चाहिए।"

मोबाइल नेटवर्क प्रचालक नकद भुगतान की सुविधा नहीं प्रदान कर सकते

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान ने कहा है कि वह मोबाइल नेटवर्क प्रचालकों को उनकी मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के तहत नकद भुगतान (cash out) की सुविधा तब तक नहीं प्रदान करेगा जब तक कि वे बैंकों के लिए कारबार संपर्कियों (BCs) के रूप में कार्य नहीं करते। मोबाइल बटुओं में नकद भुगतान की अनुमति दिए जाने से कुछ मुद्दे जुड़े हैं। यह एक ई-धनराशि वाला उत्पाद है। इसलिए मोबाइल नेटवर्क प्रचालकों (MNOs) को "उप-मार्ग वाली बैंकिंग" में संलग्न होने से रोकने के उद्देश्य से हमने नकद भुगतान की अनुमति वे जब तक कारबार संपर्कियों के रूप में कार्य नहीं करते, नहीं दी है। नकद भुगतान की सुविधा ग्राहक को अपने मोबाइल बटुए का उपयोग करते हुए धनराशि आहरित करने में समर्थ बनाती है तथा देश में उसकी इस समय अनुमति नहीं है। जहां तक सीमा-पार वाले विप्रेषणों के लिए मोबाइल बैंकिंग के उपयोग किए जाने का प्रश्न है उसमें अन्य बातों के साथ ही प्रवाह की गुणवत्ता से सम्बन्धित चिंता, धन-शोधन विरोधी नियमों तथा अपने ग्राहक को जानिए (KYC) नियमों के कारण सुरक्षात्मक मुद्दे भी जुड़े हैं।

सूक्ष्मवित्त

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा मार्जिन सीमा के लिए समय की मांग

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) की प्रतिनिधि संस्था एमफिन (MFIN) ने ऋणों पर मार्जिन की सीमा तय करने से सम्बन्धित आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से दो वर्ष के समय हेतु अनुरोध किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक चाहता है कि ऋणों पर मार्जिन की सीमा संशोधित करके 100 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण संविभाग वाली बड़ी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए 10% और 100 करोड़ रुपये के संविभाग वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए 12% कर दी जाए।

बीमा

इर्डा प्रमुख बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि के पक्ष में

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री जे. हरि नारायण ने क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि के सुझाव का स्वागत किया है। बीमा कम्पनियों द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (IPOs) में जुटाई गई कुल धनराशि सीमित है। इसप्रकार, बीमा को निवेश के महत्तर स्तर द्वारा लाभ पहुंचेगा और इसलिए हम उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि के प्रति उत्सुक हैं। बैंकिंग क्षेत्र के "अग्रणी बैंकिंग मॉडेल" की प्रतिकृति के बारे में बात करते हुए उन्होंने भौगोलिक स्थितियों के आधार पर सामाजिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर संकेन्द्रण के लिए "अग्रणी बीमा मॉडेल" का विचार प्रस्तावित किया।

ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्रों के लिए मानक बीमा

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लिए एक मिश्रित मानक बीमा उत्पाद के सम्बन्ध में प्रस्ताव का प्रारूप जारी किया है। उक्त प्रारूप में इस आशय का प्रस्ताव है कि बीमित रकम 10, 000 रुपये के गुणजों में 40, 000 रुपये से 2 लाख रुपये की श्रेणी में उपलब्ध हो। बीमाकर्ताओं को एक मानक उत्पाद की बिक्री हेतु प्रत्येक जीवन सुरक्षा और प्रत्येक सामान्य सुरक्षा के लिए एक यूनिट की जमा (credit) दी जानी चाहिए। बीमाकर्ताओं को सामाजिक एवं ग्रामीण क्षेत्र के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी अन्य उत्पाद का विपणन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये ऐसे उत्पाद हैं, जो या तो मानक उत्पाद में प्रभारित किए जाने वाले प्रीमियमों के लिए कमतर लाभ प्रदान करते हैं या फिर वे ऐसे उच्चतर प्रीमियम वाले होते हैं, जो प्रभारित प्रीमियम के लिए मानक उत्पाद की अपेक्षा कमतर लाभ प्रदान करते हैं। खर्चों, कमीशन एवं लाभ मार्जिन के आधार प्रीमियम के 25% से अधिक नहीं होने चाहिए। नवीकरण खर्च के आधार 2% से अधिक नहीं होंगे।

इर्डा बीमा पॉलिसियों को निवेशकों के अधिक अनुकूल बनाएगा

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) बीमा पॉलिसियों पर कर -छूट लागू करते हुए उन्हें निवेशकों के अधिक अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहा है। चूंकि जीवन बीमाकर्ता प्रीमियमों के लिए 50, 000 रुपये की एक अलग आय कर छूट सीमा की मांग करते रहे हैं, अद्यतन मुहिम बीमा योजनाओं को कर बचाने वाले लिखतों के रूप में बढ़ावा देने में सहायक होगी। वर्तमान में, बीमा पॉलिसियों, पेंशन योजनाओं, भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों जैसे लिखतों में निवेश 1 लाख रुपये की सम्मिलित कटौती के पात्र होते हैं। यद्यपि बीमा पॉलिसियां अन्य उत्पादों की तुलना में कमतर प्रतिलाभ दिलाती हैं, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) और वित्त मंत्रालय, दोनों ही कर छूटें देते हुए इन्हें निवेशकों के अधिक अनुकूल बनाने के प्रयास कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

बैंक एशिया अदला-बदली (swap) बाज़ार से पीछे हट सकते हैं

विनियामक अड़चनों और बढ़ती लागतों के कारण बड़े पश्चिमी बैंकों को एशिया के कुछेक विकासशील वित्तीय व्युत्पन्नी (Derivatives) बाजारों में अपनी सहभागिता में कमी लानी पड़ सकती है या यहां तक कि उनसे वापस निकलना पड़ सकता है। नये वैश्विक विनियमनों के अनुसार बैंकों के लिए सामान्य रूप से खरीदे-बेचे जाने वाले ब्याज दर अदला-बदली जैसे काउंटर पर खरीदे-बेचे जाने वाले (OTC) व्युत्पन्नियों से सम्बन्धित उनके व्यापारों को केन्द्रीय समाशोधन गृहों के माध्यम से करना आवश्यक है। हालांकि, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया में नये समाशोधन गृहों में लागू जोखिम से सम्बन्धित नियम इसे निषेधात्मक रूप से खर्चीला अथवा यहां तक कि कुछेक विदेशी बैंकों के लिए इन देशों में व्युत्पन्नियों का क्रय-विक्रय असंभव बना देते हैं।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में 1.26 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि

24 अगस्त को समाप्त सप्ताह में मुद्रा आस्तियों में पर्याप्त सुधार की पृष्ठभूमि में भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 1.26 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई, जिससे वे बढ़ कर 290.18 बिलियन अमरीकी डालर हो गईं। समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियों (FCA) में 1.22 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई और वे 257.87 बिलियन अमरीकी डालर हो गईं। अमरीकी डालर में अभिव्यक्त विदेशी मुद्रा आस्तियों (FCAs) में प्रारक्षित निधियों में रखी गई गैर-अमरीकी मुद्राओं यथा- यूरो, पौंड और येन में मूल्यवृद्धि और मूल्यहास का समावेश होता है। सोने का प्रारक्षित भण्डार 25.71 बिलियन अमरीकी डालर पर अपरिवर्तित रहा। सप्ताह के दौरान विशेष आहरण अधिकारों (SDRs) में 29.4 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई तथा वे 4.386 बिलियन अमरीकी डालर हो गए, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास देश की प्रारक्षित निधि की स्थिति में भी 14.8 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई, जिससे वह 2.206 बिलियन अमरीकी डालर हो गई।

अक्तूबर 2012 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बबदली)

	लिबोर	अदला-बबदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.97300	0.377	0.453	0.583	0.750
जीबीपी	1.29563	0.7550	0.8104	0.8990	1.0260
यूरो	0.64929	0.464	0.570	0.739	0.945
जापानी येन	0.53514	0.288	0.298	0.305	0.358
कनाडाई डालर	2.01200	1.346	1.413	1.500	1.594
आस्ट्रेलियाई डालर	4.35800	2.920	2.978	3.169	3.268
स्विस फ्रैंक	0.35040	0.125	0.140	0.223	0.323
डैनिश क्रोन	0.76500	0.6500	0.7580	0.9220	1.1150
न्यूजीलैंड डालर	3.48000	2.715	2.850	2.993	3.133
स्वीडिश क्रोनर	2.38000	1.426	1.466	1.539	1.656

स्रोत : विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	21 सितम्बर 2012 के दिन	21 सितम्बर 2012 के दिन
	बिलियन रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	15, 894. 4	2 93,974.4
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	14, 071.0	2 61,031. 1
ख) सोना	1, 462, 1	26, 239. 4
ग) विशेष आहरण अधिकार	240, 4	4, 460.4
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	120.9	2, 243.5

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ	उद्देश्य
रिलाएंस कैपिटल असेट मैनेजमेंट और एसबीआई म्युचुअल	रत्नाकर बैंक	रिलाएंस म्युचुअल फंड स्कीम और एसबीआई एमएफ स्कीम का बैंक की सभी शाखाओं के माध्यम से वितरण
यूटीआई, फ्रैंकलिन एमएफ	सिण्डिकेट बैंक	उसकी म्युचुअल फंड योजनाओं की बिक्री एवं वितरण
इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की सेवा करना
एशियाई विकास बैंक	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कं. लिमिटेड	देश के मूलभूत सुविधा विकास बॉण्ड बाजार को बढ़ावा देना
भारतीय स्टेट बैंक	स्टार एग्री. वेयरहाउसिंग लि.	गोदाम रसीद वित्तीयन और संपार्श्विक प्रबन्धन सेवाओं के लिए
भारतीय स्टेट बैंक	जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को- ऑपरेशन	भारत में प्रवेश करने वाले लघु एवं मध्यम स्तर वाले जापानी उद्यमों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु

टाटा मोटर्स	जम्मू और कश्मीर बैंक	यात्री वाहन ग्राहकों के वित्तीयन के लिए
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को नवोन्मेषन वित्त ऋणप्रदान करने हेतु KfW से प्राप्त निधियों को सरणिकृत करना

नयी नियुक्तियां

- श्री वाई. सी. देवेश्वर को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री के. आर. कमत को भारतीय बैंक संघ (IBA) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- डॉ. राकेश मोहन को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री अन्नो रुह्ल को विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए देश विशिष्ट निदेशक (Country Director) के रूप में नियुक्त किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमशः)

परिदृश्य चयन

अधिकांश बैंकों के दबाव परीक्षण बाज़ार की उन उत्कट घटनाओं का पता लगाने हेतु नहीं तैयार किए गए थे जिनका अनुभव किया गया। अधिकांश फर्मों ने यह पाया कि उनके दबाव परीक्षणों के एक अथवा कतिपय पहलुओं का वास्तविक घटनाओं से स्थूल रूप में भी सुमेल नहीं होता था। विशेष रूप से, प्रणाली व्यापक अंतः क्रियाओं एवं प्रति-सूचना के प्रभावों के कारण परिदृश्य हल्के आघातों, कमतर अवधियों के अंगीकरण तथा विभिन्न स्थितियों, जोखिम के प्रकारों एवं बाज़ारों के बीच सह-सम्बन्धों का निरूपण करने वाले लगते हैं। संकट के पहले गंभीर दबाव परिदृश्यों की परिणति विशिष्ट रूप से उन हानियों के अनुमानों में हुई, जो एक तिमाही के अर्जन मूल्य से कतई अधिक नहीं (और विशिष्ट रूप से कम) थे।

परिदृश्यों का विकास करने हेतु कई प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया गया है। संवेदनशीलता परीक्षण, जो सर्वाधिक प्रारंभिक स्तर पर हैं, सामान्यतः उन आघातों को किसी अन्तर्निहित घटना या वास्तविक दुनिया के परिणामों से सम्बद्ध किए बिना वैयक्तिक मापदंडों अथवा सूचनाओं को आघात

पहुंचाते हैं। यह देखते हुए कि ये परिदृश्य बहुविध जोखिम कारकों अथवा प्रति-सूचना के प्रभावों की उपेक्षा कर देते हैं, उनसे होने वाला मुख्य लाभ यह है कि वे किसी निश्चित जोखिम कारक के प्रति पोर्टफोलियो की संवेदनशीलता का त्वरित प्रारंभिक आकलन प्रदान कर सकते हैं तथा कुछेक जोखिम संकेन्द्रणों की पहचान कर सकते हैं।

अधिक परिष्कृत दृष्टिकोण इन आघातों का उपयोग एक साथ कई एक मापदंडों पर करते हैं। ये दृष्टिकोण विशिष्ट रूप से या तो परंपरा पर आधारित होते हैं या फिर परिकल्पनाओं पर।

पारंपरिक परिदृश्यों को अतीत में अनुभव की गई बाजार की किसी महत्वपूर्ण घटना के आधार पर बार-बार कार्यान्वित किया गया। इस प्रकार के दबाव परीक्षण उन नये उत्पादों में जोखिमों का पता लगाने में समर्थ नहीं थे जो संकट के केन्द्र में थे। इसके भी अलावा, पिछली घटनाओं द्वारा निर्दिष्ट गंभीरता के स्तर तथा दबाव की अवधि अपर्याप्त सिद्ध हुए थे। दबाव अवधि की लम्बाई को अभूतपूर्व के रूप में लिया गया और इसलिए परंपरा पर आधारित दबाव परीक्षणों में जोखिम के स्तर तथा जोखिमों के बीच अंतः क्रिया का न्यून अनुमान लगाया गया।

बैंकों ने उन घटनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से परिकल्पनात्मक दबाव परीक्षणों को भी कार्यान्वित किया, जिनकी अनुभूति नहीं हुई थी। हालांकि संकट के पूर्व बैंक सामान्यतः या तो गंभीरता की दृष्टि से या फिर विभिन्न पोर्टफोलियो के बीच अंतःक्रिया के स्तर या जोखिम के प्रकार की दृष्टि से केवल मध्यमार्गी परिदृश्यों का उपयोग किया करते थे। कई एक बैंकों में जोखिम प्रबन्धकों के लिए अधिक गंभीर परिदृश्यों के लिए वरिष्ठ प्रबन्धन की स्वीकृति प्राप्त करना कठिन था। ऐसे परिदृश्य जिन्हें उत्कट अथवा नवोन्मेषी माना गया, प्रायः बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा अविश्वसनीय समझे गए।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

अवशोषित खाता / लेखा

एक ऐसा खाता / लेखा जो संयोजित किया गया है अथवा जिसका अन्य सम्बद्ध खाते में विलयन हो चुका है। खाते / लेखे प्रायः लेखांकन प्रक्रिया को सरल बनाने के एक तरीके रूप में मौजूदा खातों / लेखों में अवशोषित किए जाते हैं। किसी खाते / लेखे के अवशोषित कर दिए जाने पर मूल खाते का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, यद्यपि निधियां किस प्रकार संचालित की गईं गईं थीं यह दर्शाने के लिए एक कागजी तलपट मौजूद रहेगा।

शब्दावली

पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत (PPIs)

पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत (PPIs) ऐसे भुगतान लिखत होते हैं जो इस प्रकार के लिखतों में भण्डारित मूल्य के समक्ष माल एवं सेवाओं की खरीद को सुगम बनाते हैं। इस प्रकार के लिखतों में भण्डारित मूल्य धारक द्वारा नकदी द्वारा, किसी बैंक खाते में नामे (प्रविष्टि) द्वारा अथवा क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान किए गए मूल्य का निरूपण करता है। पूर्व-प्रदत्त लिखत स्मार्ट कार्डों, चुंबकीय पट्टी वाले कार्डों, इंटरनेट खातों, इंटरनेट बटुओं, मोबाइल खातों, मोबाइल बटुओं, कागज के वाउचरों तथा किसी ऐसे लिखत के रूप में जारी किए जा सकते हैं जिनका उपयोग (सामूहिक रूप से भुगतान लिखत कहे जाने वाले) पूर्व-प्रदत्त खाते तक पहुंच के लिए किया जा सकता हो।

संस्थान की गतिविधियां

अक्टूबर और नवम्बर 2012 महीनों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	ऋण मूल्यांकन कार्यक्रम	8 से 12 अक्टूबर
2	लघु एवं मध्यम उद्यमों का वित्तीयन	15 से 19 अक्टूबर
3	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	29 से 31 अक्टूबर
4	टॉपसिम कार्यक्रम	5 से 6 नवम्बर

सितम्बर, 2012 माह के दौरान पूरे किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि	सहभागियों की संख्या	स्थल
1	व्यापार वित्त	3 से 7 सितम्बर	16	आईआईबीएफ, लीडरशिप सेंटर
2	जिखिम, विनियमन एवं अनुपालन	27 से 29 सितम्बर	18	आईसीएसआई-सीसीजीआरटी नवी मुंबई
3	अनुपालन कार्य कार्यशाला	24 अगस्त	22	

उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम (AMP)

संस्थान ने 2012-13 के लिए आईआईबीएफ लीडरशिप सेंटर, कुर्ला, मुंबई में बैंकिंग एवं वित्त में उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम (AMP) की घोषणा की है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

संस्थान समाचार

ई-मेल के माध्यम से आईआईबीएफ विज्ञान

संस्थान ने अक्टूबर 2012 के बाद से आईआईबीएफ - विज्ञान उसके पास पंजीकृत ई-मेल पतों पर ई-मेल द्वारा भेजना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी पहले न पंजीकृत कराए हों, उनसे अनुरोध है कि वे संस्थान के पास उन्हें यथशीघ्र पंजीकृत करा लें।

नयी प्रमाणपत्र परीक्षाएं

संस्थान ने 14 सितम्बर, 2012 को पंजाब नैशनल बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा संस्थान के उप सभापति श्री के. आर. कामत और भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी. पद्मनाभन के कर कमलों से सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए ग्रामीण बैंकिंग परिचालन, व्यक्तियों के लिए साइबर अपराधों की रोकथाम और धोखाधड़ी प्रबन्धन तथा विदेशी मुद्रा सुविधाओं में 4 नयी प्रमाणपत्र परीक्षाओं / पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है। इसके अलावा सूक्ष्मवित्त व्यावसायिकों के लिए सूक्ष्मवित्त में डिप्लोमा पाठ्यक्रम / परीक्षा के स्थान पर एक प्रमाणपत्र परीक्षा की शुरुआत की गई है। अभ्यर्थीगण इन परीक्षाओं में दिसम्बर, 2012 और उसके बाद से सम्मिलित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

आईआईबीएफ की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य परिपत्रों से छांट कर निकाली गई अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा / सीएआईआईबी के लिए संपर्क कक्षाएं

संस्थान ने जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा / सीएआईआईबी के अभ्यर्थियों के लिए संपर्क कक्षाओं की घोषणा की है। संपर्क कक्षाओं के कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

-
- * भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत
 - * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
 - * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रेषित
 - * प्रेषण की तिथि प्रत्येक महीने की 25वीं से 30वीं तारीख
-

जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा / सीएआईआईबी के लिए वेब-कक्षाएं एवं ई-शिक्षण

संस्थान ने जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा / सीएआईआईबी के सभी अभ्यर्थियों के लिए वेब-कक्षाओं और ई-शिक्षण की शुरुआत की है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

हीरक जयंती और सी. एच. भाभा बैंकिंग विदेशों में अनुसंधान अध्येतावृत्ति (फेलोशिप)

संस्थान द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए हीरक जयंती और सी. एच. भाभा बैंकिंग विदेशों में अनुसंधान अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

90
85
80
75
70
65
60
55
50

04/09/12 06/09/12 10/09/12 11/09/12 12/09/12 13/09/12 14/09/12 17/09/12
18/09/12 21/09/12 24/09/12 26/09/12 28/09/12

अमरीकी डालर

यूरो

100 जापानी येन

पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- 4 सितम्बर को रुपया 0.2 प्रतिशत गिर कर 55.66 डालर हो गया। अटकल के आधार पर पूर्ववर्ती लाभों गंवाते हुए रुपया लुढ़का। आयातकों ने एक सप्ताह से अधिक समय में सर्वोत्तम विनिमय दर से लाभ उठाने के लिए डालर की खरीद बढ़ा दी।

- रुपया 0.5% मजबूत हो कर 6ठी को 55.5 प्रति डालर हो गया, जो 23 अगस्त के बाद से सबसे बड़ी वृद्धि थी। इस अटकल पर कि यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक के अधिकारी उनके क्षेत्र के ऋण संकट को रोकने के लिए उपर्यो की पुष्टि करेंगे, रुपया पूर्ववर्ती हानियों की भरपाई करते हुए दो सप्ताहों में सर्वाधिक मजबूत हुआ।
- शेयर बाजार के समकालिक 7वीं को रुपये में 30 पैसे का उछाल आया, जिससे वह यूरोपीय सेन्ट्रल बैंक की बॉण्ड खरीदने की घोषणा के बाद पूंजी अंतर्वाहों की पृष्ठभूमि में डालर के समक्ष 55.36 के दो सप्ताह के उच्चस्तर पर बंद हुआ।
- 13वीं को रुपया 0.3 प्रतिशत गिर कर प्रति डालर 55.38 हो गया, जो 5वीं सितम्बर के बाद वाली सबसे बड़ी गिरावट थी।
- 21वीं को डालर के समक्ष रुपया 54.16 पर खुला, जो दिन के दौरान 53.34 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया और 20वीं को 54.39 के बंद वाले स्तर की तुलना में 53.47 पर बंद हुआ।
- माह के दौरान सभी प्रमुख मुद्राओं के समक्ष रुपये में सभी स्तरों पर मूल्यवृद्धि हुई, जो डालर के समक्ष 5.11%, पौंड के समक्ष 2.85%, यूरो के समक्ष 2.67% और जापानी येन के समक्ष 4.02% थी।

भारित औसत मांग दरें

8.20
8.00
7.80
7.60
7.40
7.20
7.00

01/09/12 03/09/12 05/09/12 06/09/12 07/09/12 10/09/12 15/09/12 17/09/12
18/09/12 20/09/12 21/09/12

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2012

- उधार लेने वाले बैंकों से मांग के अभाव के कारण मांग दरें 4थी को 7.95 प्रतिशत की कमतर दर पर बंद हुईं।
- मांग के अभाव के कारण मांग मुद्रा दर 10वीं को 8.10 प्रतिशत के मुकाबले 11वीं को 8.05 की कमतर दर पर बंद हुईं।
- 13वीं को मांग दरें आठ प्रतिशत के कमतर स्तर पर बंद हुईं। दरें 8.10 प्रतिशत से 7.90 प्रतिशत की श्रेणी में घटती-बढ़ती रही।
- मांग मुद्रा दरें स्थिर बनी रहीं, क्योंकि उधार लेने वाले बैंकों से मांग आपूर्ति के समतुल्य रही। यह 25 वीं को 8.05 प्रतिशत के स्थिर स्तर पर बंद हुईं।
- भारत मांग दर 6ठी को 7.34 % के न्यून और 20वीं को 8.06% के उच्च स्तर पर पहुंच गईं।

बम्बई शेयर बाजार सूचकांक

18800
18600
19400
18200
18000
17800
17600
17400
17200
17000

01/08/12 06/08/12 07/08/12 09/08/12 13/08/12 14/08/12 17/08/12 21/08/12 27/08/12
29/08/12 30/08/12

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स

कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)

मुंबई - 400 070

टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332

तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.

वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज्ञान अक्टूबर, 2012

